रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072020-220495
CG-DL-E-13072020-220495

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2038] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/आषाढ़ 22, 1942
No. 2038] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASADHA 22, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

सं. 18 / 2015—2020

विषयः— मास्क और कवरऑल के लिए कपड़े के कच्चे माल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2311(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2-01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा नीचे दिए गए उत्पाद विवरण के अनुसार मास्क और कवरऑल के लिए कपडे के कच्चे माल के निर्यात से संबंधित आईटीसीएचएस निर्यात नीति की अनुसूची 2 में संशोधन करने वाली दिनांक 19-03-2020 की अधिसूचना संख्या 52 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	वर्तमान नीति	संशोधित नीति
	560312 560392	25–70 जीएसएम का नॉन–वूवन फेब्रिक्स	निषिद्ध	निषिद्ध

207 ग	560311 569313 560314 560391 560393 560394	25–70 जीएसएम को छोड़कर अन्य नॉन–वूवन फैब्रिक्स **(नॉन–वूवन फैब्रिक के मेल्टब्लोन श्रेणो को छोड़कर)**	निषिद्ध	मुक्त

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

अधिसूचना सं. 52 दिनांक 19.03.2020 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि ऊपर विनिर्दिष्ट एचएस कोडो के लिए निर्यातित केवल 25 से 70 जीएसएम के नान–वूवन फैब्रिक और किसी जीएसएम के मेल्ट ब्लोन फैब्रिक निर्यात के लिए निषिद्ध है। 25–70 जीएसएम के अलावा जीएसएम युक्त अन्य सभी नॉन–वूवन फैब्रिक निर्यात के लिए मुक्त रुप से अनुमत है।

[फा.सं. 01/91/180/21/एएम-20/ ईसी-ई 20261]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

No.18/2015—2020

Subject: - Amendment in Export Policy of textile raw material for masks and coveralls

S.O. 2311(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification No. 52 dated 19.03.2020 amending the Schedule 2 of the ITCHS Export policy related to export of textile raw material for masks and coveralls as per the product description given below:

S.No.	ITCHS Codes	Description	Current Policy	Revised Policy
207 C	560312 560392	Non-woven fabrics for 25-70 GSM	Prohibited	Prohibited
	560311 569313 560314 560391 560393 560394	Non-woven fabrics other than 25-70 GSM **(Except Melt-blown category of Non-woven fabric)**	Prohibited	**Free**

2. Effect of this Notification:

The Notification No. 52 dated 19.03.2020 is amended to the extent that only non-woven fabric of 25 to 70 GSM and melt blown fabric of any GSM exported against the HS codes specified above is prohibited for export. All other non-woven fabrics with GSM other than 25-70 GSM are freely allowed for exports.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC-E 20261]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.13 21:37:06 +05'30'